

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना - 800015

दूरभाष सं०:- 0612-2217956
फैक्स:- 0612-2215611/2215978
ई-मेल:- ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :- 1.10.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरुद्ध, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 14,054 लीटर अवैध शराब एवं मुंगेर जिला में 8 मैग्जीन, 2 बेस मशीन तथा 2 ड्रिल मशीन जब्त किया गया।

गोपालगंज जिला के थावे थानान्तर्गत ₹20,00,000/-, कटिहार जिला के कुर्सीला में ₹4,10,000/-, सिवान जिला में ₹78,000/-, वैशाली जिला में ₹2,40,000/-, भोजपुर जिला में ₹1,08,000/- एवं औरंगाबाद जिला में ₹1,65,000/- जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

Flying Squad, Static Surveillance Team एवं अन्य के द्वारा अब तक कुल 10.86 करोड़ रुपये जब्त किया गया है। जब्त राशि में से आयकर विभाग द्वारा अब तक कुल 1.29 करोड़ रुपये को अंतिम रूप से जब्त किया जा चुका है जबकि 4.60 करोड़ रुपये जिला स्तर पर गठित समिति के स्तर से विमुक्त किया गया है।

2. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	19
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	2
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	5
Violation of Loudspeaker Act	1
Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution	3
Others	3
3. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :-

No. of Arms/Weapons seized	13
No. of cartridges seized	275
No. of Bombs seized	9
No. of illegal arms manufacturing centres raided and seizures made	2
No. of Licensed Arms deposited	1,217
No. of Licensed Arms Cancelled	55
No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC	6,918
No. of non-bailable warrants executed	717
Fine collected in vehicle checking	Rs. 13,59,370
4. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई आज की गई :-	
No. of prohibition cases registered	85
No. of raids conducted	188
Volume of illicit liquor seized during raids	3,162 litre
No. of persons arrested	33
Amount of fine imposed	Rs. 3,23,000
5. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर तृतीय चरण के जिलों यथा सारण, वैशाली, नालन्दा, पटना, भोजपुर एवं बक्सर जिला के कुल 50 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 113-एकमा, 114-मांझी, 115-बनियापुर, 116-तरैया, 117-मढ़ौरा, 118-छपरा, 119-गरखा (अ.जा.), 120-अमनौर, 121-परसा, 122-सोनपुर, 123-हाजीपुर, 124-लालगंज, 125-वैशाली, 126-महुआ, 127-राजापाकर (अ.जा.), 128-राघोपुर, 129-महनार, 130-पातेपुर (अ.जा.), 171-अस्थायी, 172-बिहारशरीफ, 173-राजगीर (अ.जा.), 174-इस्लामपुर, 175-हिलसा, 176-नालन्दा, 177-हरनौत, 178-मोकामा, 179-बाढ़, 180-बख्तियारपुर, 181-दीघा, 182-बाँकीपुर, 183-कुम्हारार, 184-पटना साहिब, 185-फतुहा, 186-दानापुर, 187-मनेर, 188-फुलवारी (अ.जा.), 189-मसौढ़ी (अ.जा.), 190-पालीगंज, 191-बिक्रम, 192-संदेश, 193-बड़हरा, 194-आरा, 195-अगिआँव (अ.जा.), 196-तरारी, 197-जगदीशपुर, 198-शाहपुर, 199-ब्रहमपुर, 200-बक्सर, 201-डुमराँव एवं 202-राजपुर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित अधिसूचना आज दिनांक 01.10.2015 को जारी कर दी गयी है। उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर, 2015, नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तारीख 9 अक्टूबर, 2015, अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर, 2015 एवं मतदान की तारीख 28 अक्टूबर, 2015 निर्धारित है।	

नामांकन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- नामांकन निर्वाची पदाधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष आम सूचना में उल्लेखित स्थल पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक दिया जा सकता है।
- अभ्यर्थी के लिए विधान सभा निर्वाचन के लिए 25 वर्ष आयु की अर्हता होनी चाहिए।
- अभ्यर्थी बिहार राज्य के किसी भी विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचक हो सकते हैं जबकि प्रस्तावक के लिए उसी विधान सभा क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है।
- सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के लिए 10 हजार रुपये की जमानत राशि निर्धारित है। अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मामले में जमानत राशि 5 हजार निर्धारित है।
- विधान सभा निर्वाचन के लिए प्ररूप-2ख में नामांकन दाखिल किया जाना है।
- प्ररूप-2ख के साथ अभ्यर्थी प्ररूप-26 में प्रतिशपथ पत्र में विभिन्न विषयों पर यथा न्यायालय में लम्बित मामले, दर्ज मामले, सजा, शैक्षणिक योग्यता, दायित्वों आदि की विवरणी प्रस्तुत करेंगे। प्ररूप-26 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे नामांकन की अन्तिम तिथि के 03:00 बजे अपराह्न तक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- प्ररूप-26 पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए। अपूर्ण प्ररूप-26 दाखिल करने के स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को नोटिस निर्गत किये जायेंगे।
- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल (बिहार के मामले में 6 राष्ट्रीय एवं 4 राज्य स्तरीय दल हैं) के मामले में एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय से भिन्न अभ्यर्थी के लिए 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी।
- नामांकन के समय अधिकतम 3 वाहन निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष के 100 मीटर की परिधि में जा सकते हैं।
- नामांकन के समय अभ्यर्थी समेत कुल 5 व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।
- मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा अपने अभ्यर्थियों के लिए प्ररूप-ए एवं बी निर्गत किये जायेंगे जिसके आधार पर उनको उक्त श्रेणियों में अन्य आवश्यक अर्हता होने पर मान्यता दी जायेगी।
- बिहार राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं जन जाति के श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में खड़े हो सकते हैं।

- अभ्यर्थियों के छायाचित्र मतपत्र पर मुद्रित होंगे। सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में अपना नवीनतम छायाचित्र नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

7. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर तृतीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आज दिनांक 1.10.2015 को निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	आज दाखिल नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या
1	2	3
सारण	117-मढ़ौरा	1
वैशाली	126-महुआ	1
	130-पातेपुर (अ0जा0)	1
नालन्दा	172-बिहारशरीफ	1
	175-हिलसा	1
पटना	178-मोकामा	1
	179-बाढ़	1
	180-बख्तियारपुर	1
	182-बाँकीपुर	3
	183-कुम्हरार	1
	184-पटना साहिब	1
भोजपुर	197-जगदीशपुर	2
	198-शाहपुर	1
बक्सर	201-डुमराँव	1
कुल योग		17

इस प्रकार तृतीय चरण हेतु आज कुल 17 नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है।

8. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर द्वितीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आज दिनांक 1.10.2015 को अभ्यर्थिता वापसी के उपरांत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्यात्मक विवरणी निम्नवत् है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	संवीक्षा के पश्चात विधिमान्य नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या	कुल अभ्यर्थिता वापसी	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या
1	2			
कैमूर	203-रामगढ़	13	0	13
	204-मोहनिया (अ0जा0)	15	1	14
	205-भभुआ	20	0	20
	206-चैनपुर	14	0	14
रोहतास	207-चेनारी (अ0जा0)	13	1	12
	208-सासाराम	14	0	14
	209-करगहर	20	2	18
	210-दिनारा	19	2	17
	211-नोखा	15	0	15
	212-डिहरी	17	2	15
	213-काराकाट	12	0	12
अरवल	214-अरवल	11	0	11
	215-कुर्या	23	1	22
जहानाबाद	216-जहानाबाद	13	1	12
	217-घोसी	8	0	8
	218-मखदुमपुर (अ0जा0)	13	0	13
औरंगाबाद	219-गोह	21	0	21
	220-ओबरा	18	0	18
	221-नवीनगर	18	0	18
	222-कुटुम्बा (अ0जा0)	12	1	11
	223-औरंगाबाद	21	1	20
	224-रफीगंज	16	0	16
गया	225-गुरुआ	12	0	12
	226-शेरघाटी	12	0	12

227-इमामगंज (अ0जा0)	7	0	7
228-बाराचट्टी (अ0जा0)	11	0	11
229-बोध गया (अ0जा0)	15	0	15
230-गया टाउन	16	0	16
231-टिकारी	12	0	12
232-बेलागंज	13	1	12
233-अतरी	15	0	15
234-वजीरगंज	12	0	12
कुल योग	471	13	458

इस प्रकार द्वितीय चरण हेतु अभ्यर्थिता वापसी के उपरांत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 458 है।
